



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 20,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 323/2013 धारा- 366,376(2)एन भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय एफटीसी प्रथम जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त शीलू कुमार पुत्र देवीदीन निवासी ग्राम खाईपार थाना कोतवाली नगर जिला बांदा को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
श्री राजेश तिवारी



विवेचक-
उ०नि० श्री गौतम
कुमार



पैरोकार- थाना बिवांर
का० प्रेम सिंह